वादीया का वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

अत: वादीया का वाद प्रस्तुत विड्रा प्रा.पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
फलसी

फर्द अहकाम

कान्ता बनाम ओमप्रकाश वगै0

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या:- 74/2025/ताका

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.07.2025	यह वाद पत्र वकील श्री विनय कुमार जैन ने पेश किया। वाद पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये डाक रजिस्टर्ड एडी जारी हो। पत्रावली दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	31/7/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। वकील श्री विनय कुमार जैन ने प्रतिवादी सं० (4) की ओर से U.T. दी। पत्रावली वास्ते तलबी / वकालतनामा दिनांक 29/8/25 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	कान्ता देवी प्र. 4 [signature] 31/7/25
	29/8/25	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 25/9/25 को पेश है।	
	25/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने बताया कि दिनांक 22/7/25 को वादीया द्वारा विड्रा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादीया स्वयं उपस्थित हुई थी। जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई थी। लेकिन सहवन से आदेशिका दिनांक 31/7/25 पर प्रतिवादी सं. (4) की UT दर्ज कर दी गई। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 31.7.2025 दुरुस्त किया जाना न्यायोचित समझते है। अत: आदेशिका दिनांक 31/7/2025 मे वर्णित U.T. की कार्यवाही मनसुख की जाती है। वादीया द्वारा पूर्व दिनांक 22/7/2025 को प्रस्तुत विड्रा प्रा. पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी फागी	